फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री सत्यनारायण | **विपक्षी : श्री भंवरसिंह**

किस्म मुकदमा – 53, 88 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 256/13**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 30.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प मोरठ में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा आपसी राजीनामा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. मय धारा 151 जा.दी. का पेश कर आपसी राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री किया जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा व बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में मूल पुरूष चतरसिंह के नाम पर दर्ज थी जो चतरसिंह के पश्चात् उनके पुत्र भूरसिंह, जगन्नाथसिंह, मोहनसिंह व धनसिंह के नाम विरासत से दर्ज हुई। जगन्नाथसिंह लाऔलाद अविवाहित फौत हो गये है जिनके निकटतम वारिस वादी व प्रतिवादीगण हैं। चूंकि वादी द्वारा जगन्नाथसिंह जी के निकटतम वारिस होने से हिस्से अनुसार घोषणा व बंटवाडे का वाद प्रस्तुत कर जगन्नाथसिंह जी के नाम दर्ज भूमि में अपने हिस्से अनुसार घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 के जवाब अनुसार जगन्नाथसिंह जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी सं. 1 की पत्नी बसन्तीबाई प्रतिवादी सं. 13 के पक्ष में दिनांक 10.05.90 को वसीयत निष्पादित कर दी। जगन्नाथसिंह जी की मृत्यु 27.12.94 को होना बताया। प्रतिवादी सं. 13 बसन्तीबाई की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिस प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/4 हैं। प्रकरण में वादी व प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/4 द्वारा आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया। जिसमें राजीनामें की कलम सं. 3 में वसीयत के आधार पर बसन्तीबाई के वारिसों के नाम भूमि दर्ज किये जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामें अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 1459, 1460, 1462, 1463, 1464, 1465, 1471 किता 7 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वसीयत पत्र दिनांक 10.05.90 अनुसार खातेदार जगन्नाथसिंह पिता चतरसिंह के बजाय प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/4 को हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे एवं उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य कानूनी रूप से हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/– रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में पेश किया जावें। रा.का. अधि. में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें। बंटवाडा प्रस्ताव उभय पक्षकारान की उपस्थिति में दिनांक 21.01.2022 को मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया जावे। भूमि की नई नाप (हेक्टेयर) के अनुसार तैयार कर पेश करें। पक्षकारान मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद रहे। प्रारम्भिक डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से खारिज हो। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:46:48 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री सत्यनारायण पिता धनसिंह राजपूत निवासी सनवाड, चंगेडी दरवाजा तह. मावली।

........वादी

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पिता भूरसिंह राजपूत निवासी वार्ड न. 4 सनवाड तह. मावली मृतक के बजाय :–

1/1 श्री गणपतसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी वार्ड न. 4 सनवाड तह. मावली।

1/2 श्री मानसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी वार्ड न. 4 सनवाड तह. मावली।

1/3 श्री सोहनसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी वार्ड न. 4 सनवाड तह. मावली।

1/4 श्रीमती सीमाकुंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी जब्बरसिंह राजपूत निवासी सनवाड हाल गोगारिया मारवाड जं.।

2. श्री कालुसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी वार्ड न. 4 सनवाड तह. मावली।
3. श्रीमती सज्जाबाई पत्नी लालसिंह राजपूत निवासी वार्ड न. 4 सनवाड तह. मावली।
4. श्रीमती गंगाबाई पिता भूरसिंह पत्नी मोहनसिंह राजपूत निवासी माडकला तह. वल्लभनगर।
5. श्री शंकरसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी वार्ड न. 4 सनवाड तह. मावली।
6. श्री किशनसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी वार्ड न. 4 सनवाड तह. मावली।
7. श्री शम्भुसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी वार्ड न. 4 सनवाड तह. मावली।
8. श्री यशवन्तसिंह पिता कैलाशसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता श्रीमती पारू पत्नी कैलाशसिंह राजपूत निवासी वार्ड न. 4 सनवाड तह. मावली।
9. श्रीमती पारू पत्नी कैलाशसिंह राजपूत निवासी वार्ड न. 4 सनवाड तह. मावली।
10. श्रीमती नर्बदाकुंवर पुत्री मोहनसिंह पत्नी नाहरसिंह राजपूत निवासी कुरडी थामला तह. मावली।
11. श्री सत्यनारायण पिता गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
13. श्रीमती बसन्तीबाई पत्नी भंवरसिंह राजपूत निवासी वार्ड न. 4 सनवाड तह. मावली। तर्क किया।

.........प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– 53, 88 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 256/13 वाद

निर्णय दिनांक : 30.12.2021

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.12.21 को मयंक मनीष, I.A.S. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक के समक्ष प्रारम्भिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि – मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 1459, 1460, 1462, 1463, 1464, 1465, 1471 किता 7 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वसीयत पत्र दिनांक 10.05.90 अनुसार खातेदार जगन्नाथसिंह पिता चतरसिंह के बजाय प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/4 को हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे एवं उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य कानूनी रूप से हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/– रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में पेश किया जावें। रा.का.अधि. में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें। बंटवाडा प्रस्ताव उभय पक्षकारान की उपस्थिति में दिनांक 21.01.2022 को मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया जावे। भूमि की नई नाप (हेक्टेयर) के अनुसार तैयार कर पेश करें। पक्षकारान मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद रहे।

यह आज तारीख 30.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर [illegible] न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:46:48 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली